डी.ए.वी.एम.पी.एस.कछौड़

विद्यालय फीस समिति

छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020

विद्यालय की सामान्य जानकारी

1- विद्यालय का नाम	-	**डी.ए.वी.एम.पी.एस. कछौड़, जिला–कोरिया (छ.ग.)**
2- विद्यालय का स्तर (प्राथ / पू.मा. / हा.स्कू. / हा.से.)	-	हायर सेकेंड्री
3- विद्यालय प्रारंभ वर्ष	-	2016-17
4- शिक्षण का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी	-	अंग्रेजी
5- मान्यता क्रमांक व बोर्ड	-	3330314 (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली)
6- यू-डाईस कोड	-	22012310606
7- विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम / पता / मो.नं.	-	**डी.ए.वी.कॉलेज ट्रस्ट एड मेनेजमेंट सोसायटी, नई दिल्ली**

ब) धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस निर्धारण समिति व प्रावधान

विद्यालय फीस समिति की सदस्यता		नाम व मोबाईल नं.		समिति में पद
विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख		श्रीमान् एस.के.मिश्रा	9399981485	अध्यक्ष
कलेक्टर द्वारा नामांकित मोडल अधिकारी		श्रीमान् मो. इस्माईल खान जी	8770379866	सदस्य
कलेक्टर द्वारा नामांकित सदस्य / अभिभावक	तीसरी	श्री राजेश सिंह	7999810642	सदस्य
	आठवीं	श्री प्रबोध कुजूर	6260711352	
	नवमी	श्री अखिलेश्वर जायसवाल	7879620482	
विद्यालय द्वारा नामित सदस्य / अभिभावक	पहली	डॉ. एस.पी.केशरवानी	8120885684	सदस्य
	तीसरी	श्री अशोक कुमार	7089600182	
	आठवीं	श्रीमती गमला साकेत	9755339080	
विद्यालय का प्राचार्य		श्री अभिमन्यु दुबे	7747883559	सचिव

1. अभिभावक से अभिप्रेत है किसी बच्चे के माता, पिता, संरक्षक अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो उस बच्चे के देखभाल के लिए विधिक रुप से प्राधिकृत हो ।
2. अभिभावक संघ से अभिप्रेत है किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का ऐसा संगठन जिसमें उस विद्यालय में पढ़ने वाले कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावक सदस्य हों ।
3. समिति में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रुप से 2 वर्ष का होगा ।
4. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर एवं इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात खुलने वाले समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन ऐसे अशासकीय विद्यालयों के द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा समिति इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय 1 माह के भीतर लेगी ।
5. एक बार सक्षम समिति द्वारा फीस का अनुमोदन हो जाने के पश्चात यदि अशासकीय विद्यालय का प्रबंधन फीस बढ़ाना चाहे तो उसे शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 6 माह पूर्व सुसंगत अभिलेख सहित धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष फीस बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा समिति यथासंभव 3 माह के भीतर फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय देगी ।
6. अभिभावक संघ फीस निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी ।
7. इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां फीस निर्धारण के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों की भी सुनवाई कर सकेंगी ।
8. धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन के प्रस्ताव तथा अभिभावक संघों के अभ्यावेदनों पर विचार एवं विद्यालय के लेखों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात् विद्यालय की फीस का निर्धारण करेगी तथा फीस निर्धारण करते समय अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को उपलक्ष्य कराई जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखेगी ।
9. अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन इस अधिनियम के अंतर्गत गठित सक्षम समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक फीस नही लेगा तथा पालन नहीं किये जाने पर अधिनियम में शास्ति का भी प्रावधान है ।
10. विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक संघ द्वारा, धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील, निर्णय संसधित होने के 30 दिवस के भीतर धारा 4 अंतर्गत गठित जिला फीस समिति के समक्ष की जा सकेगी ।

जिला फीस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी है ।

कृष्णा प्रेस, मनेन्द्रगढ़ 9893103899

Scanned with OKEN Scanner